HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **बिवांर** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 127/2019 धारा-376 भा0द0सं0 व 6 पोक्सों एक्ट** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय **विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **मनोज कुमार साहू पुत्र रामौतार साहू** निवासी बल्लान थाना अतर्रा जनपद बांदा को दोषसिद्ध करते हुए **20 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये** के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।

	अभियोजक– एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह		विवेचक- निरीक्षक राजेश कुमार वर्मा		पैरोकार थाना- बिवांर का0 श्रीकान्त राजपूत